निर्णय लेने की प्रक्रिया कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी कार्यालय प्रक्रिया नियमावली के अनुसार की जाती है। भारत सरकार द्वारा जारी अन्य प्रासंगिक नियम/दिशानिर्देश (उदाहरण के लिए: जीएफआर, डीएफपीआर, एफआर और एसआर आदि) का पालन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा भी किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कैबिनेट सचिवालय के निर्देशों का अनुपालन करते हुए और केंद्रीय सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया नियमावली (सीएसएमओपी) में निहित सिद्धांतों के अनुरूप, विभाग ने अपनी प्रस्तुति प्रक्रिया को इस प्रकार संरचित किया है कि किसी भी फाइल के निपटान का स्तर चार (4) स्तरों से अधिक न हो।